ज्ञापांक – 6218(ई) दिनांक – 31.8.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–31/08/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

सचिव (प्रा०) 31/08/18

पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चौक (एन0एच0–77) से पक्की सराय चौक पथ के कि0मी0 0 से 19.25 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–2579(अनु0) दिनांक 30.07.2018 एवं पत्रांक–2829(अनु0) दिनांक 28.08.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की क्रमशः अनुशंसा एवं संशोधित अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चौक (एन0एच0–77) से पक्की सराय चौक पथ के कि0मी0 0 से 19.25 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13
2.2	एकरारनामा संख्या	:	SBD-01 of 2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹36,94,33,365.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Alectra Construction Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	19.01.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	18.01.2015
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	कार्य प्रगति में।
2.8	मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि	:	30.10.2018

3. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–2579(अनु0) दिनांक 30.07.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति प्राप्त करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा समर्पित किया गया जिसे दिनांक 10.08.2018 को विभागीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभागीय निविदा समिति का निर्णय जो विभागीय ज्ञापांक–5777(ई0) दिनांक 13.08.2018 द्वारा संसूचित है, निम्नवत् है :–

''विचार कर यह पाया कि विलम्ब के कारण Concurrent थे, अतः इतनी अधिक लम्बी अवधि का समयवृद्धि (EOT) देने की अनुमान्यता पर मुख्य अभियंता पुनः विचार कर अनुशंसा करें। वे कार्य की प्रगति पर भी विचार करें।''

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय, विभागीय ज्ञापांक–5777(ई0) दिनांक 13.08.2018 के आलोक में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा विलम्ब के कारणों की पुनर्समीक्षा करते हुए समर्पित तकनीकी मूल्यांकन समिति की संशोधित अनुशंसा में विलम्ब का कारण निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

4.1 **समयवृद्धि का कारणः–**

(1) **पथ अधिग्रहण के कारण विलंब :–** कार्य का एकरारनामा दिनांक 19.01.2013 को किया गया। यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन था तथा पत्रांक–4755(ई0) दिनांक 09.10.2014 को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण किया गया। पथ के ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक द्वारा पथ का DLP के अन्तर्गत होने के कारण पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण के पश्चात् कार्य प्ररम्भ हुआ। इस प्रकार इस मद में 625 दिन का विलंब हुआ, जिसमें concurrent अवधि शून्य होने के कारण 625 दिनांक की अनुशंसा की गई है।

(2) **रात्रि में कार्य के कारण विलंबः–** कार्य स्थल शहरी क्षेत्र होने के कारण नो एन्ट्री लागू था। प्रशासन से अनुमति लेने के पश्चात रात्रि में कार्य कराना पड़ा। रात्रि कार्य के लिए पुलिस बल के लिए भी अनुरोध प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा किया गया। फलतः कार्य में 242 दिनों का विलम्ब हुआ, जिसमें concurrent अवधि शून्य होने के कारण 242 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(3) **कार्य के Scope में परिवर्तन के कारण विलंब :–** कार्य का एकरारनामा 7.0 मी0 चौड़ाई में किए जाने हेतु किया गया था। परन्तु कुछ पथांशों में भूमि की अनुपलब्धता (कि0मी0 0 से 7.5) के कारण पथ का चौड़ीकरण 5.5 मी0 करने हेतु आदेश अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2795(ई0) दिनांक 29.04.2015 द्वारा प्राप्त हुआ। अतः कार्य में 217 दिनों का विलंब हुआ, जिसमें concurrent अवधि 181 दिनों के होने के कारण 36 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(4) **नक्सल गतिविधि के कारण विलंब :–** संवेदक ने प्रमंडलीय कार्यालय में सूचना दी की उन्हें नक्सलियों द्वारा धमकी दी गई है, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा भी इसकी सूचना पुलिस तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को दी गई। उक्त कारण कार्य की प्रगति बाधित हुआ, जिसमें संवेदक द्वारा 250 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें concurrent अवधि 08 दिनों के होने के कारण 242 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(5) **अण्डरग्राऊण्ड BSNL Cable के कारण विलंब :–** संवेदक द्वारा कार्य के दौरान सूचित किया गया कि अण्डरग्राऊण्ड BSNL Cable मात्र 5 इंच से 6 इंच की गहराई पर डाली गई है, जबकि कार्य के लिए सिर्फ 10 इंच की कटाई की जानी है। अधीक्षण अभियंता द्वारा भी उनके पत्रांक–907 दिनांक 16.06.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से Cable क्षतिग्रस्त होने के कारण संवेदक के बंधक बनाए गए JCB एवं Tractor को मुक्त करने की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। फलतः कार्य में 148 दिनों का विलंब हुआ, जिसमें Concurrent अवधि 148 दिनों के होने के कारण शून्य दिन की अनुशंसा की गई है।

(6) **Utility Shifting के कारण विलंब :–** पथ के पथांश, पानी टंकी चौक से पक्की सराय चौक तक में PQC कार्य कराया जाना था। उक्त पथांश में पड़ने वाले विद्युत पोल का इरेक्शन/सिफटिंग एवं डिसमेन्टलिंग कार्य का परिणाम विपत्र संबंधित विद्युत विभाग से प्राप्त होने पर अधीक्षण अभियंता के पत्रांक–985 अनु0 दिनांक 11.07.2015 द्वारा स्वीकृत किया गया। ततपश्चात विद्युत कार्य का निविदा प्रकाशित कर कार्य को अन्य संवेदक को आवंटित किया गया। फलतः उक्त विद्युत पोल के सिफटिंग के बाद कार्य कराया गया जिसके कारण 902 दिनों का विलंब हुआ, जिसमें Concurrent अवधि 902 दिनों के होने के कारण शून्य दिन की अनुशंसा की गई है।

(7) **रेल रैक की अनुपालब्धता के कारण विलंब :–** रेलवे के माल अधीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि ''शेखपुरा स्टेशन पर दिनांक 20.01.2018 के Indent लगाया गया है। परन्तु BoxN नहीं मिलने के कारण रेलवे द्वारा रैक उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 15.06.2018 के पश्चात मिलने की संभावना है।''

उक्त के कारण कार्य करीब 145 दिनों का विलंब हुआ, जिसमें Concurrent अवधि शून्य होने के कारण 145 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(8) **बालू की अनुपलब्धता :–** मुख्य सचिव, बिहार पटना के पत्रांक–404 दिनांक 09.02.2016 द्वारा आदेशित किया गया कि National Green Tribunal, Eastern Zone Beach द्वारा बालू खनन में रोक लगा दी गई है। जिसके कारण करीब 89 दिनों तक कार्य की प्रगति अवरूद्ध रहा, जिसमें Concurrent अवधि शून्य होने के कारण 145 दिनों की अनुशंसा की गई है।

अतः समयवृद्धि की अनुशंसा में Concurrent कारणों को ध्यान में रखते हुए Overlapping period को नहीं लिया गया है।

5. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1599(अनु0) दिनांक 20.08.2018 द्वारा कार्य की प्रगति के संबंध में निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :–

(i) संवेदक द्वारा 30 मार्च 2018 तक कराये गये कार्य के भुगतान के पश्चात् E/W-4.50 km, WMM-2.00 Km एवं BC-1.70 km में कार्य कराया गया, जिसका लगभग 200 लाख रू0 का भुगतान समयवृद्धि के अभाव में लम्बित है।

(ii) उक्त कार्य में DBM एवं BC कार्य हेतु संवेदक द्वारा पाकुड चिप्स, VG-30 एवं CRMS-55 का भंडारण किया गया है, जिसमें लगभग 02(दो) कि0मी0 में DBM एवं BC कार्य कराया जा सकता है। भंडार किये गये सामग्रीयों का स्थल निरीक्षण संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा की गई है

(iii) वर्त्तमान में बरसात के कारण WMM सतह एवं व्यवहार में लाने वाले सामग्री में नमी होने के कारण DBM एवं BC कार्य कराना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप पथ कार्य में समुचित प्रगति नहीं हो पा रही है। मौसम अनुकूल होने के साथ ही भण्डारित सामग्रीयों को व्यवहार में लाते हुए DBM एवं BC कार्य सम्पादित करा लिया जायेगा।

6. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.10.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। विस्तारित अवधि में निविदाकार को एकरारनामा के SBD Clause 10 CC के तहत् अनुमान्य लाभ दिये जाने की भी अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

31/8/18

7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

7.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–2829(अनु0) दिनांक 28.08.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत तुर्की चौक (एन0एच0–77) से पक्की सराय चौक पथ के कि0मी0 0 से 19.25 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 (एकरारनामा सं0– **SBD-01 of 2013-14**) हेतु दिनांक दिनांक 30.10.2018 तक **SBD** के **Clause-10 CC** के तहत **Price Neutralization** के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थात विस्तारित अवधि में यदि **Price Index/Rate** अधिक हो तो **Price Escalation** देय होगा परन्तु यदि **Price Index/Rate** कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

7.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबवाईट पर भी डाली जाय।

31/08/18
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता(या0),
उत्तर बिहार उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना

31/08/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव
–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना ।

31/8/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना ।

31.8.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक–प्र0–7/विविध (स0वृ0)–06–179/2018– 6218(E) पटना, दिनांक 31.8.18.

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव